मेन्स मास्टर

महामारी संधि की उल्टी गिनती

संदर्भ
• कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य समन्वय में विफलताओं को उजागर किया, जो असमानता और तैयारियों की कमी की विशेषता है।
• जवाब में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एक ऐतिहासिक महामारी समझौते का मसौदा तैयार करने के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

पृष्ठभूमि
• वार्ता तनावपूर्ण है, अंतिम मसौदा मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए रखा जाना है।
• यह 1948 में WHO की स्थापना के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य के पुनर्गठन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है।
• वार्ता के विफल होने का जोखिम अधिक है, जिससे संभावित रूप से दुनिया भविष्य की महामारियों के प्रति संवेदनशील हो सकती है।

संधि की प्रस्तावित विशेषताएँ
• समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने का लक्ष्य।
• इसमें रोगजनक निगरानी, स्वास्थ्य सेवा क्षमता निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला सुधार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संभावित बौद्धिक संपदा (IP) छूट शामिल हैं।
• रोगाणुरोधी प्रतिरोध प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सुधार करना चाहता है।
• निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पार्टियों का सम्मेलन (COP) प्रस्तावित है।

लाभ
• कोविड-19 के दौरान देखी गई विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है।
• समानता पर जोर देने से विशेष रूप से विकासशील देशों में टीकों, दवाओं और संसाधनों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सकता है।
• बढ़ी हुई निगरानी से प्रकोपों का तेजी से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने में मदद मिल सकती है।

विपक्ष और चिंताएँ
• विकासशील देश साझा रोगज़नक़ डेटा से प्राप्त लाभों तक समान पहुँच की मजबूत गारंटी चाहते हैं।
• विकसित देश अक्सर दवा उद्योग पर संभावित प्रभावों का हवाला देते हुए तकनीक हस्तांतरण और आईपी छूट का विरोध करते हैं।
• मजबूत प्रवर्तन तंत्र की कमी एक बड़ी चिंता है। शक्तिशाली देशों के लिए असुविधाजनक होने पर पिछले स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी की गई है।

आगे की राह
• बातचीत जारी है, मई 2024 के अंत तक समझौता करने की कोशिश की जा रही है।
• यदि आम सहमति नहीं बन पाती है तो एक कमजोर समझौता संभव है।
• बाध्यकारी समझौता न बना पाना एक बड़ा झटका होगा, जिससे विश्वास कम होगा और दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए कम तैयार होगी।

प्रौद्योगिकी दिग्गज यूरोपीय संघ की जांच का सामना कर रहे हैं

संदर्भ
• प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के बारे में चिंताओं के कारण Apple, Meta, Google और Amazon जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों को यूरोपीय संघ (EU) से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है।
• EU ने इन "गेटकीपर" कंपनियों को विनियमित करने और डिजिटल बाजार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) लागू किया।

पृष्ठभूमि
• सितंबर 2023 में, EU ने DMA के तहत Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance और Microsoft को 'गेटकीपर' के रूप में नामित किया।
• इन कंपनियों को मार्च 2024 तक DMA के दायित्वों का पालन करना आवश्यक था।
• यूरोपीय आयोग ने संभावित उल्लंघनों की जांच शुरू करने से पहले अनुपालन रिपोर्ट और हितधारक प्रतिक्रिया की समीक्षा की।

मुद्दा
• यूरोपीय आयोग ने DMA दायित्वों के संबंध में Apple, Meta और Alphabet (Google की मूल कंपनी) के विरुद्ध गैर-अनुपालन जाँच शुरू की है।
• **आरोपों में शामिल हैं:**
  ◦ **स्टीयरिंग**: प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपयोगकर्ताओं को इन-हाउस सेवाओं की ओर मजबूर करना।
  ◦ **स्व-वरीयता:** किसी कंपनी के अपने उत्पादों को उसके प्लेटफ़ॉर्म पर अनुचित रैंकिंग लाभ देना।
  ◦ **मजबूर सहमति:** सेवाओं तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत विज्ञापन सहमति की आवश्यकता।

DMA क्या है?
• डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) यूरोपीय संघ के कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य है:
  ◦ "द्वारपाल" के रूप में नामित तकनीकी दिग्गजों को विनियमित करना।
  ◦ डिजिटल बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
  ◦ नवाचार और उपभोक्ता की पसंद को प्रतिबंधित करने वाली "अड़चनों" को रोकना।

एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव
• प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के कारण निम्न हो सकते हैं:
  ◦ उपभोक्ता के पास कम विकल्प
  ◦ कीमतें बढ़ जाना
  ◦ नवाचार में बाधा
  ◦ छोटे व्यवसायों के लिए सीमित प्रतिस्पर्धा

पाठ्यक्रम सुधार
• यूरोपीय आयोग की जांच DMA को लागू करने और संभावित बाजार विकृतियों को दूर करने के लिए एक गंभीर प्रयास का संकेत देती है।
• गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों को निम्न का सामना करना पड़ सकता है:
  ◦ भारी जुर्माना
  ◦ जबरन विनिवेश (अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को बेचना)
  ◦ भविष्य के अधिग्रहणों पर प्रतिबंध

आगे की राह
• इन जांचों के परिणामों का यूरोपीय संघ में डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा।
• निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने में DMA की सफलता पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।

पिछले 10 वर्षों में भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता का मापन

संदर्भ
• भारत का इंटरनेट शटडाउन में दुनिया में अग्रणी होने का एक खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड है। यह प्रवृत्ति दैनिक जीवन को बाधित करती है और देश में इंटरनेट स्वतंत्रता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है।

पृष्ठभूमि
• पिछले एक दशक में, भारत ने सैकड़ों बार इंटरनेट शटडाउन लगाया है, जिसमें दुनिया भर में दर्ज किए गए सभी ब्लैकआउट का लगभग 60% भारत में हुआ है।
• ये शटडाउन अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान या कथित सुरक्षा खतरों के जवाब में होते हैं।
• इन कार्रवाइयों का कानूनी आधार एक पुराना ब्रिटिश-युग का कानून (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम) है जिसकी परिभाषाएँ अस्पष्ट हैं।

इंटरनेट तक पहुँच क्यों महत्वपूर्ण है
• इंटरनेट आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो सक्षम बनाता है:
  ◦ दूसरों के साथ संचार और संबंध

- शिक्षा और सूचना तक पहुँच
- व्यावसायिक संचालन और आर्थिक गतिविधि
- विचारों की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक चर्चा में भागीदारी

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया है।

सरकार इंटरनेट क्यों बंद करती है

• सरकार अक्सर ऐसे कारणों का हवाला देती है:
- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ
- सार्वजनिक व्यवस्था/सुरक्षा के लिए खतरा
- गलत सूचना के प्रसार को रोकना

सरकारी कार्रवाई से जुड़े मुद्दे

• शटडाउन का लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे आवश्यक गतिविधियाँ बाधित होती हैं।
• "आपातकाल" और "सार्वजनिक सुरक्षा" के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषाओं की कमी से सत्ता के दुरुपयोग की संभावना पैदा होती है।
• पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि शटडाउन के आदेश अक्सर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं।
• भारत की कार्रवाई उसके अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का खंडन करती है कि इंटरनेट एक्सेस एक मौलिक अधिकार है।
• बार-बार शटडाउन से भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में खराब होती है जो इंटरनेट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है।

• सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

• सर्वोच्च न्यायालय (अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ) ने फैसला सुनाया है:
- इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- अनिश्चितकालीन शटडाउन असंवैधानिक है।
- सरकारों को शटडाउन के आदेशों को सार्वजनिक करना चाहिए।

आगे की राह

• भारत को तत्काल निम्न करने की आवश्यकता है:
- अपने कानूनों को अपडेट करें ताकि शटडाउन कब उचित है, इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और परिभाषाएँ प्रदान की जा सकें।
- निर्णय लेने और शटडाउन आदेशों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाएँ।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें और इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखें।
- सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वैकल्पिक, कम प्रतिबंधात्मक साधनों की खोज करें।

नौकरियों का भविष्य अंधकारमय

संदर्भ

• भारत का बहुचर्चित जनसांख्यिकीय लाभांश (युवा, प्रचुर कार्यबल) बर्बाद होने का खतरा है, जिससे नौकरियों की निराशाजनक तस्वीर बन रही है।

पृष्ठभूमि

• एक नई रिपोर्ट ("भारत रोजगार रिपोर्ट 2024") गंभीर युवा बेरोजगारी और शिक्षा और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल को दूर करने के लिए नीतिगत बदलावों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• 7-8 मिलियन युवा हर साल भारत की श्रम शक्ति में प्रवेश करते हैं; 83% बेरोजगार युवा हैं।
• 2000 के बाद से बेरोजगार, शिक्षित युवा लगभग दोगुने हो गए हैं।
• यहां तक कि स्नातकों की बेरोजगारी दर बहुत अधिक (29.1%) है।
• वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है या घट गई है।

भारत में गंभीर स्थिति

• भारत के लिए अपनी युवा आबादी से लाभ उठाने का अवसर समाप्त हो रहा है।
• कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानता गंभीर बनी हुई है।
• 90% कर्मचारी अनौपचारिक नौकरियों में हैं, जिनमें सुरक्षा और लाभ की कमी है।

जनसांख्यिकीय लाभांश से जनसांख्यिकीय आपदा

शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी और अल्परोजगार भारत के संभावित जनसांख्यिकीय लाभ को आपदा में बदलने की धमकी देता है।

पाठ्यक्रम सुधार

• राजनेताओं और नीति निर्माताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए:
- गुणवत्तापूर्ण रोजगार पर जोर देते हुए रोजगार सृजन
- तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार

निष्कर्ष

• भारत को अपने युवा कार्यबल के कौशल से मेल खाने वाली पर्याप्त, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां बनाने के लिए तत्काल केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अन्यथा, जनसांख्यिकीय लाभांश एक दायित्व बन जाएगा, जिसके भयानक सामाजिक-आर्थिक परिणाम होंगे।

प्रीलिम्स बूस्टर

चीन ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित मालदीव को तिब्बत से ग्लेशियर का पानी भेजा

⛰️ चीन पिघलते तिब्बती ग्लेशियरों से मालदीव को दस लाख से ज़्यादा पानी की बोतलें भेज रहा है, जो जलवायु संकट के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर का खामियाजा भुगतने वाला एक निचला द्वीपसमूह है।

💧 खारे पानी के प्रवेश के कारण विलवणीकरण संयंत्रों पर निर्भर मालदीव को यह उपहार पानी की कमी के जवाब में मिला है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं।

🎁 तिब्बत के ज़िज़ांग स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष यान जिनहाई द्वारा घोषित इस दान का उद्देश्य समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सदी के अंत तक मालदीव के रहने योग्य न रह जाने की चिंताओं के बीच पानी की कमी का सामना कर रहे द्वीपों की सहायता करना है।

🌊 हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित मालदीव पानी की कमी के मुद्दों से जूझ रहा है, पीने के पानी के लिए विलवणीकरण संयंत्रों पर निर्भर है, हाल ही में एक शुद्धिकरण संयंत्र में आग लगने जैसी घटनाओं के कारण व्यवधान पैदा हुए हैं।

🤝 चीन से यह सहायता क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलावों के बीच आई है, जिसमें मालदीव भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित कर रहा है, जिससे मालदीव जैसे कमजोर देशों पर जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

इथियोपिया के अफ़ार क्षेत्र में दानाकिल डिप्रेशन।

टीबी उन्मूलन एक दूरगामी लक्ष्य बना हुआ है क्योंकि प्रणालीगत चुनौतियाँ बनी हुई हैं

🩺 भारत में टीबी संकट: 2025 तक टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद, प्रणालीगत चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो रोग से निपटने में प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जिसमें निदान, उपचार तक पहुँच, पोषण, कलंक और आर्थिक सहायता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

🌍 जैव-सामाजिक समाधान: टीबी एक जैव-सामाजिक समस्या है जो असमानताओं से जुड़ी है, जिसके लिए समग्र समाधान की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों, जैसे कि कुपोषण और गरीबी को संबोधित करते हैं, जो टीबी की घटनाओं और परिणामों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं।

💊 जैव-चिकित्सा हस्तक्षेप: वर्तमान रणनीतियों में बीसीजी टीकाकरण, तपेदिक निवारक उपचार और नए संक्रमणों को कम करने और उपचार परिणामों में सुधार करने के लिए रिफामाइसिन-आधारित व्यवस्थाएँ शामिल हैं, जो व्यापक देखभाल की आवश्यकता पर बल देती हैं।

👶 बाल टीबी बोझ: भारत बच्चों में टीबी के एक महत्वपूर्ण बोझ का सामना कर रहा है, जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के भीतर बाल रोगियों के लिए अनुरूप हस्तक्षेप और व्यापक देखभाल के महत्व को उजागर करता है।

🏥 अभिनव देखभाल मॉडल: तमिलनाडु में टीएन-केईटी मॉडल जैसी पहल टीबी के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विभेदित देखभाल दृष्टिकोण, ट्राइएजिंग और चिकित्सीय पोषण की क्षमता को प्रदर्शित करती है, विशेष रूप से संसाधन-सीमित सेटिंग्स में।

🔍 भविष्य की दिशाएँ: टीबी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें भारत में टीबी देखभाल वितरण और परिणामों को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, पोषण सहायता और अभिनव देखभाल मॉडल के सामाजिक निर्धारकों के साथ जैव चिकित्सा हस्तक्षेप को एकीकृत करना शामिल है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org